



# लेखे एक दृष्टि में 2013-14



हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2013-14

महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी)

हिमाचल प्रदेश सरकार

## प्रस्तावना


हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2013-14 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के सोलहवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसूच भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय तथा विनियोजन लेखाओं में उपलब्ध सूचना के प्रधान-अंगों को और अधिक सुगम तथा सारगर्भित बनाना ही इस प्रकाशन का उद्देश्य है। वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणिकाएं हैं। विनियोजन लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है। संक्षिप्त स्पष्टीकरणों, विवरणिकाओं तथा लेखाचित्रों के माध्यम से सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शिमला

दिनांक: 29.12.2014

  
(सुशील कुमार)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

### दृष्टिकोण:

(भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु सतत प्रयास करते हैं।

### उद्देश्य:

(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्त करते हैं तथा अपने पण्धारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

### आन्तरिक मूल्य:

(मारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।)

- ❖ स्वतन्त्रता
- ❖ वस्तुनिष्ठता
- ❖ सत्यनिष्ठा
- ❖ विश्वसनीयता
- ❖ व्यावसायिक उत्कृष्टता
- ❖ पारदर्शिता
- ❖ सकारात्मक दृष्टिकोण

## विषय सूची

<b>अध्याय I</b>	<b>अधिदृष्टि</b>	<b>पृष्ठ</b>
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	1-2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोजन लेखे	3
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	4-5
1.5	वर्ष 2013-14 में वित्तीय आकर्षण	6-7
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रावधान(एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	7-9
<b>अध्याय II</b>	<b>प्राप्तियां</b>	
2.1	भूमिका	10
2.2	राजस्व प्राप्तियां	10-12
2.3	कर राजस्व	12-13
2.4	कर वसूली में दक्षता	14
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों का रुझान	14
2.6	सहायता-अनुदान	15
2.7	लोक ऋण	15-16
<b>अध्याय III</b>	<b>व्यय</b>	
3.1	भूमिका	17
3.2	राजस्व व्यय	17-18
3.3	पूंजीगत व्यय	19
<b>अध्याय IV</b>	<b>योजना तथा आयोजनेतर व्यय</b>	
4.1	व्यय का वितरण	20
4.2	योजनागत व्यय	20-21
4.3	आयोजनेतर व्यय	21
4.4.	प्रतिबद्ध व्यय	22
<b>अध्याय V</b>	<b>विनियोजन लेखे</b>	
5.1	वर्ष 2013-14 के लिए विनियोजन लेखों का सारांश	23
5.2	विगत पांच वर्षों में बचतों /आधिक्य का रुझान	23
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	24-26
<b>अध्याय VI</b>	<b>परिसम्पत्तियां तथा दायित्व</b>	
6.1	परिसम्पत्तियां	27
6.2	ऋण तथा देनदारियां	27-28
6.3	प्रतिभूतियां	28

अध्याय VII	अन्य मर्दें	
7.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	29
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	29
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	29
7.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	30
7.5	लेखाओं का समाधान	30
7.6	लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण	30
7.7	सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल तथा विस्तृत आकस्मिकता (डी.सी.) बिल	30
7.8	अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यों बारे वचनबद्धता	31

# अध्याय I

## अधिदृष्टि

### 1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश विभिन्न अभिकरणों/एजेसियों द्वारा संग्रहित, वर्गीकृत, एवं लेखा सामग्री को संकलित करने तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन जिला खजानों, लोक निर्माण मण्डलों, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों व वन मण्डलों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारम्भिक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनों पर आधारित होता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात महालेखाकार (लेखा व हकदारी) संकलित इन लेखाओं से वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोजन लेखे तैयार करता है जिन्हें राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

### 1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

#### 1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-


#### सरकारी लेखाओं की संरचना

<b>भाग- I</b> समेकित निधि	कर तथा गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाए गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।
<b>भाग- II</b> आकस्मिकता निधि	विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5 करोड़ है।
<b>भाग- III</b> लोक लेखा	समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है। लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षों में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखाकरण सत्ता के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

## लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

आगत

उत्पाद



## 1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

### 1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक - लोक शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश - विवरणिका एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत अन्य सारांश विवरणिकाएं (भाग- I ), विस्तृत विवरणिकाएं ( भाग- II ) तथा परिशिष्ट (भाग- III) समावेश किया जाता है।

वित्त लेखे 2013-14 के अन्तर्गत दर्शाई गई हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण निम्नलिखित हैं:-

वर्ष 2013-14 में प्राप्तियाँ तथा संवितरण		(₹ करोड़ में)
<b>प्राप्तियाँ</b>	<b>कुल प्राप्तियाँ</b>	<b>19739</b>
राजस्व	कर राजस्व	7612
	गैर कर-राजस्व	1785
	सहायता अनुदान	6314
	<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>15711</b>
पूँजीगत	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	17
	उधार तथा अन्य दायित्व*	4011
	<b>पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>4028</b>
<b>संवितरण</b>	<b>कुल संवितरण</b>	<b>19739</b>
राजस्व		17352
	पूँजीगत	1856
	ऋण एवं अग्रिम	531

\* उधारी तथा अन्य दायित्व: संकल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण + सकल आकास्मिकता निधि + सकल (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक लेखा + सकल प्रारम्भिक तथा समाप्त रोकड़ शेष।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹1671 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त-लेखे के खण्ड-II में परिशिष्ट-VII में प्रदर्शित किया गया है।

### 1.3.2 विनियोजन लेखे

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 9 प्रभारित विनियोजन तथा 32 दत्तमत अनुदान हैं। विनियोजन लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोजन के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोजन अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के सम्मुख हिमाचल प्रदेश सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत व्यय में कटौती के कारण ₹1815 करोड़ (प्राक्कलनों का 8 प्रतिशत) की सकल बचत तथा ₹405 करोड़ (प्राक्कलनों का 25 प्रतिशत) के अव-प्राक्कलनों को दर्शाया गया है। लोक निर्माण, सड़क, पुलों तथा भवन, उद्यान, सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा जनजातीय विकास से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अन्तर्गत प्रचुर-आधिक्य प्रदर्शित किए गए हैं।

## 1.4 निधियों का स्रोत तथा अनुप्रयोग

### 1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹458 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹172 करोड़ वापिस किए गए।

### 1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नगदी शेष ₹ 0.55 करोड़ की कमी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट दिया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹171 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट लिया गया।


### 1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2014 को को राज्य का राजस्व- घाटा ₹1641 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹4011 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹2347 करोड़), लोक लेखा में बढ़ोतरी (₹1339 करोड़) तथा आदि तथा अन्त शेष में निवल बढ़ोतरी (₹325 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹15711 करोड़) का लगभग 84 प्रतिशत वेतनों (₹7323 करोड़), व्याज-अदायगियों (₹2481 करोड़) तथा पैंशन (₹2855 करोड़) और उपदान (₹467 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ था।

निधियों का स्रोत तथा अनुप्रयोग		(₹ करोड़ में)
स्रोत	विवरण	राशि
	01 अप्रैल 2013 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-)562
	राजस्व प्राप्तियां	15711
	पूंजीगत प्राप्तियां	--
	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	17
	लोक ऋण	4051
	लघु बचत, भविष्य निधि व अन्य	2772
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	153
	प्राप्त जमा	1852
	चुकता किए गए सिविल अग्रिम	121
	उचन्त लेखे	13427
प्रयुक्त	सम्रेषण	4903
	योग	42445


प्रयुक्त	राजस्व व्यय	17352
	पूंजीगत व्यय	1856
	दिए गए ऋण	531
	लोक ऋणों की अदायगी	1704
	लघु बचत, भविष्य निधि तथा अन्य	1886
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	151
	प्राप्त जमा	1645
	दिए गए सिविल अग्रिम	121
	उचन्त लेखे	13160
	सम्रेषण	4926
	31 मार्च 2014 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)887
	योग	42445

#### 1.4.4 ₹ कहाँ से आया



(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹17 करोड़ थी जो कि नगण्य थी अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

#### 1.4.5 ₹ कहाँ गया



## 1.5 वर्ष 2013-14 में वित्तीय आर्कषण

(₹ करोड़ में)

क्र० स०		बजट प्राप्तकलन 2013-14	वास्तविक आंकड़े 2013-14	बजट प्राप्तकलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी0डी0पी0 के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व (क)	8090	7612	94	9
2.	गैर कर-राजस्व	2393	1785	75	2
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	7218	6314	87	8
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	17701	15711*	89	19
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	28	17	61	--
6.	अन्य प्राप्तियां (ख)	--	--	--	--
7.	उधार तथा अन्य दायित्व	2324	4011	173	5
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	2352	4028	171	5
9.	कुल प्राप्तियां ( 4+8 )	20053	19739	98	24
10.	आयोजनेतर व्यय	15758	15327	97	19
11.	राजस्व-लेखा पर आयोजनेतर व्यय	15727	14965	95	18
12.	मद संख्या 11 में से व्याज अदायगियों पर आयोजनेतर व्यय	2431	2481	102	3
13.	पूंजीगत लेखा पर आयोजनेतर व्यय (ग)	30	362	1207	--
14.	योजनागत व्यय	4295	4412	103	6
15.	राजस्व लेखा पर योजनागत व्यय	1919	2387	124	3
16.	पूंजीगत-लेखा पर योजनागत व्यय (घ)	2375	2025	85	3
17.	कुल व्यय (10+14) (ड)	20053	19739	98	24
18.	राजस्व व्यय (11+15)	17647	17352	98	21
19.	पूंजीगत व्यय (13+16 )	2406	2387	99	3
20.	राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+) (18-4)	(+)54	(-)1641	(-)3039	(-)2
21.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	(-)2324	(-)4011	(-)173	(-)5

(क) संघीय करों ₹2491 करोड़ के राज्य - भागों सहित (राज्य सरकार की कर प्राप्तियाँ ₹5121 करोड़ थीं जो कि जी एस डी पी का प्रतिशत हैं।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्व:- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियाँ-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹321 करोड़ सहित।

(घ) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹210 करोड़ सहित।

(ङ) पूंजीगत लेखाओं पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹1856 करोड़) तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम (₹531 करोड़) सम्मिलित हैं।

# सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹82585) को सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के बेव साइट से जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा 1 अगस्त 2014 को माना गया है।

\* बुक-समायोजन द्वारा ₹7 करोड़ की राशि शामिल है।

₹1641 करोड़ का राजस्व घाटा(वर्ष 2012-13 में ₹576 करोड़ घाटा) तथा ₹4011 करोड़ का राजकोषीय-घाटा(वर्ष 2012-13 में ₹2979 करोड़ ) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 20 प्रतिशत रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?	
घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा /आधिक्य	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये
राजकोषीय घाटा /आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

## 1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रावधान(एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रावधान (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धि निम्नलिखित थी:-

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	16,41.42	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	1.99
2	राजकोषीय घाटा	40,11.58	3.00	4.86
3	ऋण	3,38,84.05	42.10	41.03

\* सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹82585) को सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट से जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा 1 अगस्त 2014 को माना गया है।

वर्ष के अन्त में दीर्घकालिक ऋण पर प्रत्याभूतियां जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुमानित था पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 28 प्रतिशत था जो कि लक्ष्य यानि पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत के भीतर था।


राज्य सरकार के आवश्यक उद्घोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् जो विवरशो को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2012-13 में राज्य का राजस्व घाटा ₹576 करोड़ था जो वर्ष 2013-14 में बढ़ कर ₹1641 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 में ₹2979 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹1032 करोड़ की बढ़ौतरी के कारण चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹4011 करोड़ रहा यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.86 प्रतिशत के बराबर था जो कि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत से अधिक है। 31 मार्च 2014 को परादेय ऋण ₹33884 करोड़,

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 41.03 प्रतिशत है जो परादेय ऋण को कम करने के लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42.01 प्रतिशत के भीतर है। इसी प्रकार परादेय प्रतिभूतियों की राशि के लक्ष्य को पिछले वर्ष 2012-13 के सकल राजस्व प्राप्तियाँ 40 प्रतिशत से कम बनाए रखना है जो कि 31 मार्च 2014 को ₹4333 करोड़, पिछले वर्ष 2012-13 के सकल राजस्व प्राप्तियाँ (₹15598 करोड़) के 28 प्रतिशत के बराबर हैं।


#### 1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रुद्धान

**राजस्व घाटा / आधिक्य**




#### 1.6.2 राजकोषीय घाटे का रुद्धान

**राजकोषीय घाटा**



### 1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उद्यार निधि का अनुपात

पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उद्यार निधि



सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे का चली जाती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढाँचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है। अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पत्तियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर ₹1856 करोड़ का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹4051 करोड़) का केवल 46 प्रतिशत था। अतः यह प्रतीत हाता है कि लोक ऋण में उद्यार का शेष ₹1704 करोड़ पिछले वर्षों के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

## अध्याय II

### प्राप्तियां

#### 2.1 भूमिका


सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2013-14 में कुल प्राप्तियां ₹19739 करोड़ थीं।

#### 2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते हैं।
गैर कर-राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध “वैदेशिक सहायता अनुदान” भी शामिल है। बदले में, राज्य-सरकार पंचायती राज संस्थान, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है।

#### राजस्व-प्राप्तियां



## 2.2.1 राजस्वप्राप्तियों के घटक (2012-13)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े
<b>क. कर-राजस्व</b>	<b>7612</b>
आय व व्यय पर कर*	1390
सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेनदेनों पर कर	200
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	6022
<b>ख. गैर कर-राजस्व</b>	<b>1785</b>
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	222
सामान्य सेवाएं	119
सामाजिक सेवाएं	225
आर्थिक सेवाएं	1218
<b>ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>6314</b>
<b>सकल राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>15711</b>

## 2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रुझान


(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कर राजस्व	3436 (8)	5358 (10)	6107 (10)	6908 (10)	7612 (9)
गैर कर-राजस्व	1784 (4)	1695 (3)	1915 (3)	1377 (2)	1785 (2)
सहायता अनुदान	5126 (12)	5658 (11)	6521 (10)	7313 (10)	6314 (8)
<b>कुल राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>10346 (24)</b>	<b>12711 (24)</b>	<b>14543 (23)</b>	<b>15598 (22)</b>	<b>15711 (19)</b>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	42278	52426	63084	72076	82585

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

हांलाकि वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी के बल 1 प्रतिशत ही थी। कर राजस्व 10 प्रतिशत तक बड़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गयी। बिक्री व्यापार आदि, राज्य उत्पाद शुल्क, सेवाकर, निगम कर से अन्यथा आय पर कर, निगमकर, वाहनों पर कर के अन्तर्गत कर संग्रहण में अत्यधिक वृद्धि देखी गयी।

## सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों के घटक




### 2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियाँ					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आय व व्यय पर कर	552	1025	1186	1310	1390
सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेनदेनों पर व्यय	129	139	176	198	200
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	2755	4194	4745	5400	6022
<b>सकल कर राजस्व</b>	<b>3436</b>	<b>5358</b>	<b>6107</b>	<b>6908</b>	<b>7612</b>

वर्ष 2013-14 में सकल कर राजस्व में बढ़ोतारी मुख्यतः बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹413 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹142 करोड़), सेवा कर (₹73 करोड़), निगम कर को छोड़ आय पर कर (₹61करोड़), रीमा शुल्क (₹28करोड़) तथा निगम कर (₹18 करोड़) के अधिक संग्रहण के कारण हुई।

### सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मुख्य करों का रूझान



### 2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता है :- राज्य का निजी कर संग्रहन तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर	
			कर राजस्व	जी०एस०डी०पी०से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009-10	3436	862	2574	6.09
2010-11	5358	1715	3643	6.95
2011-12	6107	1999	4108	6.51
2012-13	6908	2282	4626	6.42
2013-14	7612	2491	5121	6.20

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के दो मुख्य स्त्रोतों की आय को दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राज्य का निजी कर संग्रहन	2574	3643	4108	4626	5121
संघीय करों में राज्य का अंश	862	1715	1999	2282	2491
सकल कर राजस्व	3436	5358	6107	6908	7612
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का प्रतिशत	75	68	67	67	67

राज्य के अपने कर संग्रहण के अनुपात में कुल कर राजस्व वर्ष 2009-10 से गिरावट दर्शा रहा था परन्तु वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान इसमें तटरक्षता दर्शायी गयी है।

### 2.3.2 पिछले पांच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहन का रुझान

(₹ करोड़ में)

कर	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1487	2101	2477	2728	3141
2. राज्य आबकारी शुल्क	500	562	707	810	952
3. वाहनों पर कर	134	163	176	196	208
4. स्टाप और पंजीकरण शुल्क	113	133	155	173	187
5. विद्युत सेवाओं पर कर	39	302	185	263	191
6. भूमि राजस्व	15	5	18	24	10
7. वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	89	93	94	101	105
8. अन्य कर	197	284	296	331	327
सकल राज्य का निजी कर	2574	3643	4108	4626	5121

## 2.4 कर वसूली में दक्षता

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
<b>1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर</b>					
राजस्व वसूली	1487	2101	2477	2728	3141
संग्रहण पर व्यय	3	3	5	3	11
कर वसूली में दक्षता	0.20 %	0.14 %	0.20 %	0.12 %	0.35%
<b>2. राज्य आबकारी शुल्क</b>					
राजस्व वसूली	500	562	707	810	952
संग्रहण पर व्यय	2	3	3	3	3
कर वसूली में दक्षता	0.40 %	0.53 %	0.42 %	0.37 %	0.32%
<b>3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर</b>					
राजस्व वसूली	223	256	270	297	313
संग्रहण पर व्यय	20	24	25	30	32
कर वसूली में दक्षता	8.97 %	9.38 %	9.26 %	10.10 %	10.22%
<b>4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क</b>					
राजस्व वसूली	113	133	155	173	187
संग्रहण पर व्यय	1	1	1	1	1
कर वसूली में दक्षता	0.88 %	0.75 %	0.65 %	0.58 %	0.53%

अन्य करों के मुकाबले वाहनों, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

## 2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों का रुझान


(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
निगम कर	355	671	787	820	838
निगम कर के अतिरिक्त आय	197	354	400	491	552
सम्पत्ति कर	1	1	3	1	2
सीमा शुल्क	121	300	347	379	406
संघीय आबकारी शुल्क	97	218	224	258	287
सेवा कर	91	171	238	333	406
संघीय करों में राज्य का अंश	<b>862</b>	<b>1715</b>	<b>1999</b>	<b>2282</b>	<b>2491</b>
कुल कर राजस्व	<b>3436</b>	<b>5358</b>	<b>6107</b>	<b>6908</b>	<b>7612</b>
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	25	32	33	33	33

## 2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना स्कीमों, केन्द्रगत योजना स्कीमों तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य गैर-योजना अनुदान समाहित हैं वर्ष 2013-14 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹6314 करोड़ थी, जैसा निम्न दर्शाया गया है :-

### सहायता अनुदान



सकल सहायता अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों के भाग में वर्ष 2012-13 में 36 प्रतिशत से वर्ष 2013-14 में 32 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि योजनागत स्कीमों हेतु अनुदानों के उसी भाग में वर्ष 2012-13 में 59 प्रतिशत से वर्ष 2013-14 में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजनागत स्कीमों में संघीय-भाग के ₹4992 करोड़ के बजट प्राकलन के मुकाबले में राज्य सरकार ने वास्तव में सहायता अनुदानों के रूप में ₹3765 करोड़ (बजट प्राकलन का 75 प्रतिशत) प्राप्त किये।

## 2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आन्तरिक ऋण	16129	17694	18563	19747	22099
केन्द्रीय ऋण	984	960	947	1018	1012
कुल जोड़	17113	18654	19510	20765	23111

वर्ष 2013-14 में ₹2367 करोड़ के दस ऋण 7.62 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत की व्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2017-18 तथा 2023-24 के बीच में प्रतिदेय थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से

₹379 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन०एस०एस०एफ) से ₹617 करोड़ का ऋण लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹629 करोड़, आर्थोपाय अग्रिम ₹458 करोड़ तथा ₹1,71.09 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में कुल आन्तरिक ऋण ₹3991 करोड़ लिया गया। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹59 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया था।

### अध्याय III

#### व्यय

##### 3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है। पूँजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यय को और आगे योजनागत तथा योजनेतर के अधीन वर्गीकृत किया गया।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा जा सकता है:- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

सामान्य सेवाएँ	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पैन्शन इत्यादि
सामाजिक सेवाएँ	शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जल वितरण इत्यादि
आर्थिक सेवाएँ	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि

##### 3.2 राजस्व व्यय

बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय के आधिक्य, जो बिगत पाँच वर्षों के दौरान हुआ, को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बजट प्राक्कलन	10222	12093	14042	15969	17647
वास्तविक आंकड़े	11151	13946	13898	16174	17352
अन्तर	929	1853	(-)144	205	(-)295
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	9	15	(-)1	1	(-)2

राजस्व व्यय का लगभग 77 प्रतिशत वेतन व मजदूरी (₹7545 करोड़), ब्याज भुगतान (₹2481 करोड़), पैशन (₹2855 करोड़) तथा उपदान (₹467 करोड़) पर किया गया जो कि राज्य सरकार की ‘प्रतिबद्ध व्यय’ थी।

बिगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल राजस्व व्यय	11151	13946	13898	16174	17352
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	7970	9880	11027	12939	13348
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	71	71	79	80	77
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	3181	4066	2871	3235	3995

# प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान पैशन तथा अनुदान सम्मिलित हैं।


यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय विगत तीन वर्षों के दौरान लगभग उसी स्तर पर रहा, जबकि वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 तक राजस्व प्राप्तियों में (₹10346 करोड़ से बढ़कर ₹15711 करोड़) 52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 68 प्रतिशत तक का आवर्धन हुआ।

### 3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2013-14)

घटक	राशि	प्रतिशतता	(₹ करोड़ में)
क. राज्य के अंग	194	1	
ख. राजकोषीय सेवाएं	202	1	
(i) सम्पत्ति व पूँजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	152	1	
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	49	--	
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	1	--	
ग. व्याज भुगतान तथा ऋण सेवा	2481	14	
घ. प्रशासनिक सेवाएं	1293	7	
ड. पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	2877	17	
च. सामाजिक सेवाएं	6706	38	
छ. आर्थिक सेवाएं	3590	21	
ज. सहायता अनुदान	9	--	
<b>कुल व्यय (राजस्व लेखा)</b>	<b>17352</b>	<b>100</b>	

### 3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2009-10 से 2013-14

#### राजस्व व्यय के मुख्य घटकों का रूझान



सभी क्षेत्रों में हुए व्यय ने बढ़ता हुआ रूझान दिखाया है।

### 3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है यदि वृद्धि प्रक्रिया लगातार बने रहती है। वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित ₹1856 करोड़ के पूंजीगत संवितरण (जी एस डी पी के 2.25 प्रतिशत) बजट प्राक्कलनों से ₹207 करोड़ कम थे। (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹224 करोड़ का कम संवितरण तथा योजनेतर व्यय के अधीन ₹17 करोड़ का अधिक व्यय) वर्ष 2009-10 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान्तर वृद्धि नहीं की तथा लगभग स्थिर रही। नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	बजट प्राक्कलन	1863	1760	1498	1970	2063
2	वास्तविक व्यय (#)	1943	1789	1810	1955	1856
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	104	102	121	99	90
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढ़ौतरी	(-)7%	(-)8%	1%	8%	(-)5%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	42278	52426	63084	72076	82585
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढ़ौतरी	14%	24%	20%	14%	15%.

# पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

#### 3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2013-14 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹135 करोड़ का व्यय किया गया। (मध्यम सिंचाई पर ₹38 करोड़ लघु सिंचाई पर ₹97 करोड़)। उपरोक्त के अलावा सरकार ने सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर ₹686 करोड़ का खर्च किया तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹268 करोड़ का निवेश किया। सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹74.20 करोड़, सरकारा तथा अन्य कम्पनियों में ₹1,93.47 करोड़ तथा अन्य सहकारी समितियों में ₹0.47 करोड़, का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी बैंक के द्वारा ₹9.12 करोड़, सहकारी समितियों के द्वारा ₹1.61 करोड़, की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

#### 3.3.2 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-


(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	64	73	73	74	81
		राजस्व	4377	5279	5690	6618	7047
2	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	610	611	372	436	477
		राजस्व	3902	4979	5147	6131	6706
3	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	1270	1104	1365	1445	1297
		राजस्व	2868	3682	3049	3418	3590

## अध्याय IV

### योजना तथा आयोजनेतर व्यय


#### 4.1 व्यय का वितरण



#### 4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) ₹4412 करोड़ था जोकि कुल व्यय ₹19739 करोड़ का 22 प्रतिशत है, जिसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹3780 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना ₹422 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम ₹210 करोड़ हैं।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में योजनागत व्यय की प्रतिशतता



राजस्व-क्षेत्र के अधीन योजनागत व्यय में 2012-13 में ₹2079 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹2387 करोड़, तीन प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पूँजीगत क्षेत्रों में यह वृद्धि वर्ष 2012-13 में ₹2020 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹2025 करोड़ तक

0.25 प्रतिशत रही, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना (राजस्व ₹422 करोड़ तथा पूंजीगत ₹27 करोड़) में योजनागत व्यय पर वर्ष 2012-13 में ₹447 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹449 करोड़ की वृद्धि हुई।

#### 4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल पूंजीगत व्यय	2013	2016	2303	2424	2387
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	1962	1996	2242	2020	2025
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (योजनागत) की प्रतिशतता	97	99	97	83	85

#### 4.2.2 पूंजीगत ऋणों तथा अग्रिमों पर योजनागत व्यय

ऋणों व अग्रिम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संवितरण निम्न प्रकार से है :


(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	राशि	उद्देश्य
6801 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	467	क्लीन ऐनर्जी विकास परियोजना (संचारण) के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण
6425 सहकारिता के लिए ऋण	37	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष के लिए बिलासपुर, हमीरपुर, और सिरमोर को एकीकृत सहकारिता विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी) के क्रियान्वयन के लिए ऋण
6885 उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य ऋण	16	राज्य सरकार द्वारा हिं प्र० वि० आ० के पास बॉड प्रत्याभूति स्वरूप

#### 4.3 आयोजनेतर व्यय

वर्ष 2013-14 का आयोजनेतर व्यय ₹15327 करोड़ (राजस्व के अन्तर्गत ₹14965 करोड़ तथा पूंजीगत के अंतर्गत ₹362 करोड़) जो कि सकल संवितरण ₹19739 करोड़ का 78 प्रतिशत था। आयोजनेतर व्यय में पूंजीगत के अन्तर्गत ₹321 करोड़ ऋण तथा अग्रिम के रूप में किया गया वितरण शामिल है। वेतन तथा मजदूरी पर खर्च ₹7545 करोड़ कुल आयोजनेतर व्यय का 49 प्रतिशत है।


सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में आयोजनेतर व्यय की प्रतिशतता



#### 4.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले वेतन तथा पैंशन पर व्यय में वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन तथा पैंशन के पुनर्निर्धारण के कारण हुई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान



विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबद्ध व्यय के साथ तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रतिबद्ध व्यय	8092	10318	11027	12939	13348
राजस्व व्यय	11151	13946	13898	16174	17352
राजस्व प्राप्तियां	10346	12711	14543	15598	15711
कुल राजस्व प्राप्तियों से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	78	81	76	83	85
कुल राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	73	74	79	80	77

वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ोतरी 65 प्रतिशत रही, जबकि उसी समय में राजस्व व्यय में बढ़ोतरी 56 प्रतिशत रही जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार द्वारा कम धन उपलब्ध रहा।

## अध्याय V

### विनियोजन लेखे

#### 5.1 वर्ष 2013-14 के लिए विनियोजन लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	राजस्व दत्तमत प्रभारित	16716 2473	910 74	1144 6	16482 2541	14829 2524	(-)1653 (-)17
2.	पूंजीगत दत्तमत प्रभारित	2105	116 5	300	1921 5	1851 5	(-)70 ..
3.	लोक ऋण प्रभारित	1714	210	..	1924	1704	(-)220
4.	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	342	186	78	450	531	+81
5.	योग	23350	1501	1528	23323	21444	(-)1879

#### 5.2 विगत पांच वर्षों में बचत /आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2009-10	(-) 391	(-)215	(+) 49	(+) 62	(-) 496
2010-11	(+) 321	(-) 158	(-) 10	(+) 135	(+) 289
2011-12	(-) 914	(-) 57	(+) 30	(+) 131	(-)809
2012-13	(-) 1169	(-) 41	(+) 180	(+) 94	(-) 937
2013-14	(-)1670	(-)70	(-)220	(+)81	(-)1879

### 5.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, कुछ निश्चित स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन को दर्शाती है।

निम्नतर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले एक करोड़ से अधिक कुछ अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	स्वरूप	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
3	न्याय प्रशासन	--	19	18	15	17
4	सामान्य प्रशासन	--	--	16	4	--
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	--	--	66	27	--
6	आवकारी और कराधान	--	--	--	8	--
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	--	--	35	3	22
8	शिक्षा	35	64	--	120	343
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	--	--	22	64	117
10	लोक निर्माण कार्य-सङ्गठक, पुल तथा भवन	--	--	--	45	77
11	कृषि	--	--	--	40	25
12	उद्यान	--	--	--	5	7
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	--	--	--	--	88
14	पशुपालन, डेरी विकास एवं मत्स्य	--	--	--	--	17
15	योजना एवं पिछ़ा क्षेत्र उपयोजना	24	35	--	19	22
16	वन और वन्य जीवन	--	--	--	10	7
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिका	--	--	--	--	12
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	--	--	--	--	11
20	राजस्व विभाग	--	--	--	--	60
21	सहकारिता	--	--	--	--	4
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	--	26	--	--	11
23	विद्युत विकास	63	--	--	40	283
25	सड़क और जल परिवहन	--	19	--	--	2
27	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	--	--	--	--	79
28	शहरी विकास नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	14	27	--	8	--
29	वित्त	162	238	--	38	496
31	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	--	--	39	33	72
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	10	11	16	84	107

लघु सिंचाई के अधीन निरन्तर व्यापक बचत, स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बजट- प्राकलन में बढ़ौतरी करके या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा से अन्दर रखने हेतु सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹1501 करोड़ अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ( कुल व्यय का 6.40 प्रतिशत) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुई। वर्ष के अन्त में मूल बजट के विरुद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
10	2059- लोक निर्माण कार्य- 80- सामान्य- 001- निदेशन व प्रशासन 01- निदेशन आयोजनेतर	राजस्व	17	--	12
10	2059- लोक निर्माण कार्य- 80- सामान्य- 053- अनुरक्षण तथा मरम्मत 03- निष्पादन आयोजनेतर	राजस्व	96	1	77
10	2059- लोक निर्माण कार्य- 80- सामान्य- 053- अनुरक्षण तथा मरम्मत 04- गैर आवासीय भवनों पर व्यय आयोजनेतर	राजस्व	25	--	18
10	2059- लोक निर्माण कार्य- 80- सामान्य- 053- अनुरक्षण तथा मरम्मत 05- स्थाई स्थापना में बदले गये कामगार आयोजनेतर	राजस्व	67	4	68
10	3054- सड़कें एवं पुल- 03- राज्य उच्चमार्ग- 103- अनुरक्षण एवं मरम्मत 10-निष्पादन आयोजनेतर	राजस्व	125	--	97
10	3054- सड़कें एवं पुल- 04- जिला एवं अन्य सड़कें- 105- अनुरक्षण एवं मरम्मत 07-स्थाई स्थापना में बदले गये कामगार- सड़क निर्माण कार्य आयोजनेतर	राजस्व	453	1	401
31	3054- सड़कें एवं पुल- 04- जिला एवं अन्य सड़कें- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-ग्रामीण सड़कों एवं पुलों रख रखाव की स्थापना पर व्यय आयोजनेतर	राजस्व	13	1	9

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
31	3054- सड़कें एवं पुल- 04- जिला एवं अन्य सड़कें- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02-स्थाई स्थापना में बदले गये कामगारों पर व्यय आयोजनेतर	राजस्व	51	5	46

अनुपूरक अनुदान के आबंटन के बाबजूद भी वर्ष के अन्त में व्यय के आधिक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
10	3054- सड़कें एवं पुल- 03- राज्य उच्चमार्ग- 103- अनुरक्षण एवं मरम्मत 12-स्थाई स्थापना में बदले गये कामगार- मशीनरी और उपस्थिति आयोजनेतर	राजस्व	42	4	48
11	2401-कृषि कर्म- 109-विस्तार और कृषक प्रशिक्षण 25-सामान्य विस्तार क्रिया-कलाप योजनागत	राजस्व	5	3	10
23	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपकरणों को ऋण 01-हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण योजनागत	पूँजीगत	163	119	302

## अध्याय VI

### परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

#### 6.1 परिसम्पत्तियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकांन को, अर्जन/खरीद के विभेद के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता। इसी प्रकार जैसाकि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, पर वे भावी पीढ़ी पर दायित्वों पर समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते।

गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0एस0यू0) में शेयर-पूँजी के रूप में कुल निवेश, वर्ष 2013-14 के अन्त में ₹1589 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर लाभांश ₹103 करोड़ (13 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश में ₹258 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभांश में ₹3 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2013 को (-)₹562 करोड़ था जो मार्च 2014 के अन्त तक बढ़कर (-)₹887 करोड़ हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में सरकार ने 112 तात्कालिक अवसरे पर ₹12662 करोड़ खजाना बिलों में निवेश किया तथा 210 अवसरों पर ₹12928 करोड़ के मूल्य का पुनः बट्टा चुकाया। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

#### भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष निवेश

1 अप्रैल 2013 को शेष	2013-14 के दौरान खरीद	2013-14 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2014 को अन्तिम शेष
266	12662	12928	--

#### 6.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2013-14 के लिए सीमा ₹2448 करोड़ थी। वर्ष 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹2367 करोड़ की उधारी की।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लोक ऋण	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	लोक ऋण (*)	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	कुल दायित्व	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता
2009-10	17113	40	6599	13	23712	56
2010-11	18654	36	7759	15	26413	50
2011-12	19511	31	8717	14	28228	45
2012-13	20765	29	9677	13	30442	42
2013-14	23111	28	10773	13	33884	41

(\*) उच्चत तथा सम्प्रेषण शेष रहित।

टिप्पणी: आंकड़े वर्ष के अन्त के उत्तरोत्तर शेष हैं।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष में ₹3442 करोड़ (11 प्रतिशत) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

## सरकारी देनदारियों का रुझान



(\*)स्थानीय निधियों, अन्य चिह्नित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज रहित बाध्यताएं।

### 6.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

वर्ष के अन्त तक	प्रत्याभूति अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त तक बकाया राशि		(₹ करोड़ में)
		मूलधन	ब्याज	
2009-10	4361	1924	25	
2010-11	6232	3248	662	
2011-12	6208	3316*	--	
2012-13	9455	3353*	--	
2013-14	9316	4333*	...	

\* मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।

## अध्याय VII

### अन्य मदें

#### 7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही है। 31 मार्च 2014 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

#### 7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2013-14 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹1913 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹1327 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2014 के अन्त में ₹80 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹17 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹10 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

#### 7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2009-10 में ₹718 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 1438 करोड़ की वृद्धि हुई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹609 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 42 प्रतिशत है।

बिगत पांच वर्षों के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्था	218	256	264	262	327
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	116	92	123	173	282
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	231	311	315	401	447
4	विकास एजेंसी	49	52	47	43	52
5	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थानों	41	48	70	86	95
6	अन्य संस्थान	63	90	162	238	235
	जोड़	<b>718</b>	<b>849</b>	<b>981</b>	<b>1203</b>	<b>1438</b>

## 7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2013 की स्थिती	31 मार्च 2014 की स्थिती	निवल बढ़ौतरी(+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 295	(-)887	(-)592
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	266	...	(-)266
चिन्हित निधियों से निवेश	...	...	...
(क) निक्षेप निधि	...	...	...
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	...		...
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	41	24	(-)17

सरकार के पास 31 मार्च 2014 के अन्त में नकारात्मक रोकड़ शेष पड़ा था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्तियों में (₹41 करोड़ से ₹24 करोड़) 41 प्रतिशत की गिरावट आई।

## 7.5 लेखाओं का समाधान

मुख्य नियन्त्रक अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का समाधान महालेखाकार द्वारा लेखाबद्ध किए गए आंकड़ों के साथ करें। सभी मुख्य नियन्त्रक अधिकारियों/नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा समाधान पूर्ण कर लिया गया है।

## 7.6 लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एंव व्यय के लेखाओं को 16 जिला कोषागारों, 74 लोक निर्माण मण्डलों, 88 वन मण्डलों, 53 सिंचाई मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वितीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

## 7.7 सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल तथा विस्तृत आकस्मिकता (डी.सी.) बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपेक्षित राशि को अग्रिम/पहले ही आहरण करने की अनुमति दी गई है तथा बाद में प्रेषण द्वारा समायोजन किया जाना आवश्यक है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऐसे समायोजन वाउचरों के लिए कोई भी प्रणाली नहीं बनाई है जिसके चलते महालेखाकार महोदय को यह प्रमाणित करने में कठिनाई होती है कि सभी अग्रिमों का समायोजन कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी अनियमिता नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों से महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार से आकस्मिकता बिल की प्रणाली तथा साथ ही साथ विस्तृत आकस्मिकता बिल की प्रणाली अपनाने का निवेदन कर चुके हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्यों में होता है परन्तु यह मुददा हल नहीं हो पाया है।

## 7.8 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों बारे वचनबद्धता

विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹109 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के सम्मुख वर्ष 2013-14 तक के वित्त लेखे (वर्ष 2013-14) के वित्तीय लेखे के खण्ड-II में दिए गए परिशिष्ट IX के अनुसार ₹130 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

विभिन्न परियोजनाओं पर मूल अनुमानित लागत (₹109 करोड़) में 19 प्रतिशत का आवर्धन हुआ। मल निकास स्कीमों तथा जलापूर्ति स्कीमों के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों में असामान्य वृद्धि पाई गई। अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त वृष्टिकोण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का श्रेणी (काय की संख्या)	निर्माण कार्य की लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अद्यतन व्यय	बकाया राशियां	संशोधन के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत
1	मल निकास स्कीम (8)	42	2	63	1	66
2	जलापूर्ति स्कीम(1)	4	--	12	--	10
3	भवन कार्य (3)	63	2	55	--	--
	<b>जोड़</b>	<b>109</b>	<b>4</b>	<b>130</b>	<b>1</b>	<b>76</b>

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  
2014  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.aghp.cag.gov.in](http://www.aghp.cag.gov.in)